निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय
सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर
पांचवी मंज़िल, ड्रम शेप बिल्डिंग,
आई.पी. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली

फा.सं. 1024/05/2017 दिनांक 08.05.2018

निविदा आमंत्रण नोटिस

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य कर रहे महानिदेशक, निष्पादन प्रबंधन, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, पांचवी मंज़िल, आई.पी. भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय से मासिक रूप से किराए पर ड्राईवर सहित वाहन (टैक्सीज) प्रदान करने वाली एजेंसिओं/वाहन प्रदाताओं से सीलबंद लिफाफों में सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं,..

प्रत्येक बोलीदाता के दो अलग सीलबंद लिफाफे होने चाहिए: एक में तकनीकी बोली और दूसरे में वित्तीय बोली होनी चाहिए। तकनीकी बोली में (1) कारों के निर्माण का वर्ष , (2) सरकारी एजेंसिओं में सेवा का पिछला अनुभव, (3) क्या मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार वाहन का व्यावसायिक उद्देश्य हेतु पंजीकरण है, (4) सेवा कर पंजीकरण संख्या (5) कर विवरणी अथवा लेखा परीक्षित लाभ और हानि विवरण के साक्ष्य देने वाले दस्तावेज होने चाहिएं। विशिष्ट तकनीकी विनिर्देशन संतोषजनक पाए जाने पर ही वित्तीय बोलियां स्वीकार की जाएगी। इसके अन्यथा होने पर निविदा तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

निविदा दर (कोटेशन) का विवरण सीबीईसी के वेबसाईट www.cbec.gov.in पर भी उपलब्ध है। किराए पर लिए जाने वाले वाहनों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	श्रेणी	वाहन का प्रकार	वांछित वाहनों की संख्या	टिप्पणी
1	स्टाफ कार	मारूति सियाज/होंडा सिटी/टोयोटा एटिओस	7	वाहन मासिक किराए के आधार पर प्रयोग किए जाएंगे जो कि 2500 कि.मी. और एक माह में 30-31 दिन की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होंगे।
2.	मध्यम आकार के वाहन	मारूति सियाज/होंडा सिटी/टोयोटा एटिओस	4	वाहन मासिक किराए के आधार पर प्रयोग किए जाएंगे जो कि 2500 कि.मी. और एक माह में 30-31 दिन की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होंगे।
3.	छोटे आकार	स्विफ्ट डिजायर/ होंडा	3	वाहन मासिक किराए के आधार पर

	के वाहन	अमेज		प्रयोग किए जाएंगे जो कि 2000 कि.मी. और एक माह में 25 दिन की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होंगे।

2. "कार्य का क्षेत्र" अनुलग्नक – क के रूप में इस निविदा के साथ संलग्न है। इच्छुक एजेन्सी/वाहन प्रदाता, जो इस नोटिस के अनुलग्नक – 'ख' के रुप में अनुलग्नक ''शर्तों एवं निबंधनों'' को पूरा करते हों, को अपनी बोली सीलबंद लिफाफे में, जिस लिफाफे पर स्पष्ट रुप से ''वाहनों को किराए पर देने हेतु निविदा'' लिखा हो, निम्नलिखित पते पर भेजना चाहिए :-

अपर निदेशक (प्रशासन),

महानिदेशक, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर, नई दिल्ली, पांचवा तल, आई.पी.भवन, नई दिल्ली का कार्यालय।

3. कोटेशन, डाक द्वारा अथवा दस्ती तौर पर 25.05.2018 को 13:00 बजे तक भेजी जा सकती है । बाद में प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा । तकनीकी बोलियों को दिनांक 25.05.2018 को अपराह्न 4:00 बजे, कांफ्रेस (पांचववा तल) में, पक्षों अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रहना चाहिते हों, की उपस्थिति में खोला जाएगा । बोली दाताओं, जो तकनीकी बोली की शर्तों एवं निबंधनों को पूरा करेंगे उनकी वित्तीय बोली को खोला जाएगा । वित्तीय बोलियों को खोलने की तिथि के बारे में तकनीकी बोली के सफल बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा ।

4. महानिदेशक, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर का कार्यालय, पांचवा तल, आई.पी.भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली के पास बिना कोई कारण दर्शाए, किसी भी या सभी कोटेशन को, स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।

अनुलग्नक 'क' – कार्य का क्षेत्र

1. उपलब्ध कराए गए वाहन, उचित एवं विस्तृत रुप से इंश्योरेन्स होने चाहिए एवं इनमें आवश्यक परमिट/परिवहन विभाग अथवा अन्य किसी संबंधित प्राधिकारी से क्लियरेंस, जिसमें पोलूशन सर्टीफिकेट शामिल है, होना चाहिए । किसी दुर्घटना अथवा चोरी आदि के मामले में, इससे उत्पन्न सभी दावे सेवा प्रदाता द्वारा पूरे किए जाएंगे एवं विभाग (किराए पर लेने वाला) किसी भी मामले में जिम्मेदार नहीं होगा ।

2. वाहन उत्तम स्थिति में होने चाहिए एवं इन्हें प्रतिदिन, बैटरी, कूलेंट, ऑयल, एयर टॉयर प्रेशर आदि की जांच करने के पश्चात ही भेजा जाना चाहिए । वाहनों को जब कभी भी बुलाया जाए तो निर्धारित समय एवं स्थान पर, गाड़ी का फ्यूल टैंक पूरा भरकर एवं बाहरी एवं अंदरूनी सफाई सुनिश्चित करते हुए, भेजा जाना चाहिए ।

3. ड्यूटी पर गाड़ी के ब्रेक डाउन की किसी भी स्थिति में, एजेंसी अन्य वाहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी । ऐसे मामले में, गैरेज से ब्रेक डाउन के प्वाइंट तक, माइलेज का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

4. सामान्य कार्य समय 9:00 बजे पूर्वाह्न से 7:00 बजे तक होगा । तथापि, कभी-कभी वाहनों को 9:00 बजे पूर्वाह्न से पूर्व भी रिपोर्ट करने हेतु कहा जा सकता है एवं उन्हें 7:00 बजे सांय: के बाद छोड़ा जा सकता है ।

5. सभी 14 वाहनों हेतु बोली प्रस्तुत की जानी है । आई.टी.ओ. की परिधि के 10 किलोमीटर के अंदर स्थित एजेंसी/फर्मों पर ही विचार किया जाएगा ।

6. ड्यूटी पर लगाए गए ड्राईवर का नकारात्मक ड्राइविंग हेतु चालान हुआ नहीं होना चाहिए अथवा इससे संबंद्ध न हो । फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि नियुक्त किए गए ड्राईवर के पास मोबाईल फोन हो एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो एवं व्यसनों से मुक्त हो । नियुक्त किए गए ड्राईवर के पास न्यूनतम 05 वर्षों का अनुभव हो । पान गुटका, खैनी चबाने वाले डाईवर स्वीकार्य नहीं है । ड्यूटी समय के दौरान धूम्रपान अथवा एल्कोहल का सेवन निषेध होगा । ड्राईवर समुचित ड्रेस में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेगा।

7. ड्राईवर को एन सी टी दिल्ली के मार्गों एवं सड़कों की जानकारी होनी चाहिए । ड्राईवर के कार्य एवं फंक्शन मोटर वीकल एक्ट एवं रुल्स के अनुसार शासित होंगे ।

8. ड्यूटी की पूरी अवधि के दौरान ड्राईवर को हमेशा वाहन के आस-पास रहना चाहिए । किसी अत्यावश्यकता के मामले में, ड्राईवर संबंधित अधिकारियों की अनुमति ले सकते हैं ।

9. साधारणतया सभी कार्य दिवसों में वाहन उपलब्ध होना चाहिए । अन्य दिनों में, आवश्यकता के आधार पर वाहन उपलब्ध कराया जाए ।

10. एजेंसी/वाहन प्रदाता को प्रस्ताव स्वीकार प्रस्तुत करते समय ड्राईवर का ड्राईविंग लाइलेंस एवं पुलिस सत्यापन की प्रतियां, ड्राईवर का नाम, पता मोबाइल संख्या उपलब्ध कराना होगा ।

11. एजेंसी/वाहन प्रदाता को संपर्क करने हेतु उसे पर्याप्त दूरभाष रखने चाहिए । ड्यूटी निभाते समय ड्राईवर को तहजीब एवं शिष्टाचार का पालन करना चाहिए एवं साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, समुचित वर्दी पहननी चाहिए एवं चालू हालत में मोबाइल फोन रखना चाहिए जिसके लिए इस कार्यालय द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा ।

12. वाहन का समय एवं माइलेज को दर्शाता एक दैनिक रिकार्ड एक लॉग बुक में रखा जाएगा एवं सत्यापन एवं संवीक्षा हेतु प्रतिदिन इस कार्यालय के वाहन प्रभारी को प्रस्तुत करना होगा ।

13. इस बात को वरीयता दी जाएगी यदि प्रतिदिन प्रिंटेड पावती निकाली जा सके जिसमें स्टार्ट प्वाइंट एवं एंड प्वाइंट पर समय एवं किलोमीटर दर्शाया गया हो ।

<u>अनुलग्नक 'ख' – शर्तें एवं निबंधन</u>

1. वाहन की श्रेणी दर्शाते हुए एक वाहन हेतु रू0 प्रतिमाह में कोटेशन दी जाएगी । इसमें ड्राईवर, तेल एवं वाहन का सामन्य रख-रखाव की लागत शामिल होगी । यदि ड्राईवर इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तो बोलीदाता मूल्य भी बता सकते हैं ।

2. वाहन दो वर्ष से अधिक पुराना (अर्थात 2015 के बाद निर्मित हो एवं 20,000 कि0मी0 से ज्यादा न चला हो एवं अच्छी चालू हालत में हो, जिसके लिए बोलीदाता को वाहन का निर्माण/श्रेणी के साथ वाहन के निर्माण मॉडल का वर्ष एवं पंजीकरण संख्या, जमा करानी होगी ।

3. केवल फैक्टरी में फिट किए गए सी एन जी सिलेंडर वाले वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे ।

04. एजेंसी को तैनात वाहन के विवरण सहित बिल की तीन प्रतियां देनी होंगी और बिल पर पर पीएएन और सेवा कर नंबर सहित एजेंसी का नाम और पता भी लिखा होना चाहिए। दावा की गई राशि शब्दों और अंकों दोनों में लिखी होनी चाहिए और उस पर विधिवत रसीदी टिकट लगी होनी

चाहिए और उस पर कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर होने चाहिए और यह बिल सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए और इसे आगामी माह की 5 तारीख को प्रस्तुत कर देना होगा और इसका भुगतान यथोचित जांच के बाद समय पर किया जाएगा बशर्ते विभाग के नियंत्रण से इतर कोई विलंब न हो। राशि में से सरकारी दरों/नियमों के अनुसार आवश्यक टीडीएस प्रभार काट लिया जाएगा।

05. 2500 कि.मी./2000 कि.मी. से कम चले वाहन के शेष बचे कि.मी. आगे रोल ओवर किए जाएंगे और करार के जारी रहने तक वैध रहेंगे। कि.मी. का ऐसा रोल ओवर दिए गए किसी माह में हुए अधिक कि.मी. के सामने समायोजित किए जाएंगे। निर्धारित प्रयोग से इतर 2500 कि.मी./2000 कि.मी. (जैसा भी मामला हो) से अधिक प्रति कि.मी. दर और प्रति घंटा/प्रति दिन ओवर टाईम दर जमा की जाने वाली वित्तीय बोली में स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए।

06. बोली लगाने वाली कंपनी की वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम 10 लाख रू. होनी चाहिए। इसके समर्थन में वित्तीय दस्तावेज जैसे कर विवरणी या लेखा परीक्षित हानि और लाभ विवरण दिया जाना चाहिए।

07. वाह्न राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली में पंजीकृत होना चाहिए।

08. गैरेज/ट्रांसपोर्टर के कार्यालय से आरंभिक प्वाइंट और अंतिम प्वाइंट से गैरेज/कार्यालय तक के कोई डैड माइलेज भुगतान योग्य नहीं होंगे। आरंभिक/अंतिम प्वाइंट सामान्यत: निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय कार्यालय होगा और जिसमें प्रचालन अपेक्षाओं के आधार पर बदलाव हो सकता है। यह निरीक्षक (मु.) द्वारा संसूचित किया जाएगा।

09. यात्राओं के लिए वास्तविक पार्किंग प्रभार, टोल टैक्सेस/अंतर राज्यीय टैक्सेस की प्रतिपूर्ति किराए के प्रभार के बिलों के साथ उनको प्रस्तुत करने पर की जाएगी।

10. एजेंसी/वाहन प्रदाता द्वारा लॉगबुक की प्रति के साथ विधिवत समर्थित रसीद सहित बिलों की दो प्रतियां देनी होंगी। बिल मासिक आधार पर बनाए जाने चाहिएं और भुगतान के लिए उन्हें आगामी माह के प्रथम सप्ताह में विभाग को दे देना चाहिए।

11. एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि आपूर्ति की गई कार का स्पीडोमीटर समुचित रूप से सील हो ताकि यात्रा की गई दूरी को कम-ज्यादा करने के मकसद से उससे कोई छेड-छाड़ न हो सके।

12. इस कार्यालय के अधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी अधिकृत कार्यशाला में आपूर्ति की गई कार के स्पीडोमीटर की औचक जांच हो सकती है।

13. यदि वाहन किसी दिन/दिनों रिपोर्ट नहीं करता है, तो वाहन के मासिक बिल से प्रति दिन 1500/- रुपये की कटौती की जाएगी।

14. यदि तैनात वाहन का चालक सहमत शर्तों का उल्लंधन करता है या वाहन की सवारी के साथ अथवा इस कार्यालय के किसी भी अधिकारी के साथ गलत व्यवहार करता है तो 500/- रुपये प्रति दिन का जुर्माना लगाया जाएगा।

15. इस समझौते की अवधि के दौरान कोई भी मामला जो विशेष रूप से इस समझौते के तहत शामिल नहीं किया गया है, अपर महानिदेशक (प्रशासन) द्वारा तय किया जाएगा जिनका निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

16. जहां तक संभव हो ड्राइवर को पूर्व सूचना के बिना बदला नहीं जाना चाहिए। यदि कार चालक को पूर्व सूचना के बिना बदला जाता है और एवजी वाहन/चालक उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो नए वाहन/चालक को तैनात किए जाने वाले दिनों के लिए देय शुल्क के 50% की प्रत्येक अवसर पर कटौती की जाएगी

17. इच्छुक बोलीदाता, नियम और शर्तों के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए इस निदेशालय के कमरा संख्या 501 में अधीक्षक (मुख्यालय) के साथ भेंट का अनुरोध कर सकते हैं।

18. किसी भी प्रकार के विवाद के मामले में और किसी भी संदर्भ में अपर महानिदेशक (प्रशासन) का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

19. किसी भी निबंधन और शर्तों के उल्लंघन के मामले में 15 दिन का नोटिस देने के बाद अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

(एम॰पी॰ बडगुजर)
सहायक निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि

1. नोटिस बोर्ड
2. डी.जी.पी.एम. वेबसाइट
3. कार्यालय प्रतिलिपि
4. सीबीईसी वेबसाइट

(विनोद पांडे)
अधीक्षक (मुख्यालय)

अनुलग्नक-I

तकनीकी बोली

(एक अलग मुहरबंद लिफाफे में संलग्न होना चाहिए)

डीजीपीएम कार्यालय, नई दिल्ली के लिए किराए पर वाहनों की आपूर्ति से संबंधित

1.	संगठन/फर्म का नाम	
2.	संगठन/फर्म का पंजीकृत पता	
3.	दूरभाष: फ़ैक्स सं: मोबाइल सं ई-मेल (यदि कोई है तो)	
4.	प्रोपराईटरों/सहभागियों/निदेशकों का पता उनके पैन के साथ	
5.	फर्म की पंजीकरण संख्या (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
6.	फर्म की पैन कार्ड संख्या (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
7.	सेवा कर की पंजीकरण संख्या (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
8.	कर विवरण या लेखापरीक्षित लाभ और हानि विवरण (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
9.	क्षेत्र में अनुभव की अवधि	
10.	किराये पर लिए जाने हेतु पेशकश किए जा रहे वाहनों का विवरण अर्थात वाहन का मेक, वाहन संख्या, वर्ष आदि (आर.सी. बुक की प्रतिलिपि संलग्न करें)	

** नोट: सभी कॉलम पूर्ण रूप से भरे जाए।

दिनांक: प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान:

मुहर: पूरा नामः-

अनुलग्नक-II

घोषणा

(तकनीकी बोली के साथ जमा कराएं)

1. मैं, ____________________पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री____________ प्राधिकृत हस्ताक्षरी प्रोपराईटर/निदेशक/एजेंसी ________________पता_____________________________ ____इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने और इस निविदा दस्तावेज को निष्पादित करने में सक्षम हूँ।

2. मैंने निविदा के सभी निबंधनों एवं शर्तों को सावधानी से पढ़ और समझ लिया है और मैं उनका पालन करने का वचन देता/देती हूँ।

3. आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी/दस्तावेज़ मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और प्रामाणिक है। मैं / हम इस तथ्य से पूर्ण रूप से अवगत हूं/हैं कि किसी भी गलत / भ्रामक जानकारी / बनावटी दस्तावेज को प्रस्तुत करने पर किसी भी स्तर पर मेरी निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

दिनांक: प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान:

मुहर: पूरा नाम:

अनुलग्नक-III

वित्तीय बोली

(एक अलग मुहरबंद लिफाफे में जमा किया जाये)

डी॰जी॰पी॰एम कार्यालय, नई दिल्ली के लिए किराए पर वाहनों की आपूर्ति से संबंधित

1॰ बोलीदाता कंपनी/ फर्म/ एजेंसी का नाम:

2॰ पता (दूरभाष/ फ़ैक्स सं के साथ):

3॰ स्थायी खाता संख्या (पेन):

4॰ हायरिंग शुल्क का विवरण (सेवा कर को छोड़ कर)

क्रम संख्या	श्रेणी	वाहन के प्रकार	मूल्य (रूपये में)	अतिरिक्त किलोमीटर/घंटे के लिए दर
1॰	स्टाफ कार	होंडा सिटी/मारुति सियाज़/टोयोटा ईटिओस प्रतिमाह 2500कि॰मी॰ तक चलने के लिए		
2॰	मध्यम आकार वाहन	होंडा सिटी/मारुति सियाज़/टोयोटा ईटिओस प्रतिमाह 2500कि॰मी॰ तक चलने के लिए		
3॰	छोटे आकार का वाहन	स्वीफ्ट डीज़ायर/होंडा अमेज़ प्रतिमाह 2000कि॰मी॰ तक चलने के लिए		

** नोट: सभी कॉलम पूर्ण रूप से भरे जाए।

दिनांक: प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान:

मुहर: पूरा नाम